



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं० पटना 999) पटना, शुक्रवार, 10 दिसम्बर 2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2021

सं० 2/वन्यप्राणी-17/2021/969(ई०)प०/व०/ज०/प०—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा-63 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ -
 - यह नियमावली बिहार जैव विविधता (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह राजकीय गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-25(1) के बाद निम्नरूप से उप नियम-25(1)(क) जोड़ा जाता है -

“25(1)(क)-स्थानीय निकायों की कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा गठित “परामर्शी समिति” के कार्यकाल तक विस्तारित होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 9th December 2021

No.-2/Vanparani-17/2021/969(ई०)—In exercise of the powers conferred by section 63 of Biological Diversity Act 2002 (Act. 18 of 2003) the government of Bihar, hereby makes the following Rules to amend the Bihar Biological Diversity Rules 2017:

1. (1) These rules may be called the Bihar Biological Diversity (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It will come into force with effect from the date of its publication in official gazette.

2. After Sub Rule 25(1) of the Bihar Biological Diversity Rules 2017, the following sub-rule 25(1)(ka) shall be added:

"25(1)(ka) on the expiry of tenure of the local bodies, the tenure of the Biodiversity Management Committees shall be extended till the tenure of the Advisory Committees, constituted by the Government for discharging the function of local bodies."

By the order of the Government of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 999-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>